न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
पीठासीन अधिकारी सुमन सोनल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 63/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/261

रामकुमार पुत्र गिरधारी लाल उम्र 50 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना

– आवेदक

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल चेजारा निवासी ग्राम मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना हाल पत्नी अशोक कुमार निवासी जटोला फर्रूकनगर राज्य हरियाणा।
2. सुनिल कुमार पुत्र अशोक कुमार तथाकथित पुत्र बाबूलाल निवासी जटोला फर्रूकनगर राज्य हरियाणा।
3. सीमा कुमारी पुत्र अशोक कुमार तथाकथित पुत्री बाबूलाल निवासी जटोला फर्रूकनगर राज्य हरियाणा।
4. तहसीलदार उदयपुरवाटी।

– अनावेदकगण

अधिवक्तागणः
1. श्री हनुमान सिंह गुर्जर– आवेदक की ओर से
2. श्री हरलाल सैनी– अनावेदकगण 1 लगायत 3 की ओर से

प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश
निर्णय

निर्णय दिनांक 23.01.2025

आवेदिक द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वर्तमान खाता संख्या 210 के भूमि खसरा नम्बर 2417/454 रकबा 0.22है., खसरा नम्बर 463 रकबा 0.98है. किता 02 कुल रकबा 1.20है. वाके ग्राम मनकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना में अवस्थित है। वर्तमान खाता संख्या 210 के भूमि खसरा नम्बर 2417/454 रकबा 0.22है., खसरा नम्बर 463 रकबा 0.98है. किता 2 कुल रकबा 1.20है. अनावेदिका नं. 1 के पति बाबुलाल पुत्र भूरा के नाम से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अनावेदिका नं0 1 के पति बाबुलाल पुत्र भूरा का देहान्त आज से करीब 29 वर्ष पूर्व हो गया था। अनावेदिका मृतक बाबुलाल की विवाहिता पत्नी थी, और उसकी सम्पति की वारिस थी। अनावेदिका नं0 1 ने अपने पति बाबुलाल के देहान्त के बाद पुनर्विवाह अशोक कुमार नाम के जटोला फर्रूकनगर राज्य हरियाणा के व्यक्ति से कर लिया और वहीं रहने लगी तथा ग्राम मणकसास में अनावेदिका नं. 1 के परिवार में कोई पुरूष सदस्य नहीं होने के कारण अनावेदिका नं. 1 के पति स्व0 बाबूलाल ने ही अपने जीवनकाल में काश्त करने के लिए आवेदक रामकुमार पुत्र गिरधारी लाल जाति गुर्जर निवासी मणकसास को दे दी थी तब से उक्त भूमि पर आवेदक ही काश्त करता चला आ रहा है। उक्त अनावेदिका के पति बाबुलाल के देहान्त होने के बाद दिनांक 15.11.2014 को अनावेदिका ने अपनी उक्त काश्त भूमि को गवाहान के समक्ष इसकी कुल कीमत 7,50,000/–रू0 तय करके आवेदक को बेचान कर दी थी तथा कीमत राशि मे से साईपेटे आवेदक से 3,00,000/–रू नकदी गवाहान के समक्ष प्राप्त कर लिये थे तथा सादे कागज पर इसका इकरारनामा आवेदक के नाम से लिखवाकर उस पर गवाहान के समक्ष अपने हस्ताक्षर अंगुठा निशानी करके आवेदक को दे थी तथा शेष राशि विक्रय पत्र के समय देने का इकरार हुआ था। आवेदक ने कई बार अनावेदिका नं0 1 से उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड/विरास्तन इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवाकर भूमि की शेष राशि लेकर आवेदक के नाम से विक्रय पत्र पंजियन करवाने का आवेदक व अनावेदिका नं0 1 के मध्य हुआ था लेकिन आवेदक द्वारा अनावेदिका नम्बर 1 को बार–बार कहने पर भी उक्त अनावेदिका आवेदक को झूंठे आश्वासन देती रही और समय निकालती रही। दिनांक 27.01.2016 को अनावेदिका ने आवेदक के अलावा अन्य व्यक्ति से भी इसी भूमि के बेचान का इकरारनामा कर साईपेटे 50,000/– रू0 उससे अग्रिम भी ले लिये थे जिसका बाद में आवेदक के विरोध करने पर राजीनामा हो गया था, तथा दिगर व्यक्ति से किया गया

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

CamScanner

इकरारनामा भी रद्द करवा दिया था। अनावेदिका झूंठे आश्वासन देकर समय निकालती रही, और अब काफी समय निकल जाने के बाद अनावेदिका ने आवेदक के हक में उक्त भूमि का विक्रय पत्र पंजियन करवाने से मना कर दिया तथा अनावेदिका नं0 1 ने दिनांक 25.08.2024 को आवेदक को धमकी दी कि अब मैं उक्त भूमि का विक्रय पत्र आपके नाम से नहीं करवाउंगी तथा इसे दिगर किसी अन्य को बेचान करूगी उक्त भूमि दिगर व्यक्ति को बेचान करने के लिए अनावेदिका नं0 1 बाला बाला उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल उक्त भूमि के मृतक खातेदार बाबूलाल पुत्र भूरा की वारिस बनकर अपने खुद के नाम व अपने पुत्र अनावेदकगण नं0 2 व 3 जो अनावेदिका नं0 1 के दूसरे पति अशोक कुमार के जायन्दा संतान है के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर भूमि खातेदार मृतक बाबूलाल पुत्र भूरा के जीवनकाल से ही आवेदक काश्त करता आ रहा है आज भी मौके पर उक्त भूमि पर आवेदक का ही कब्जा काश्त है लेकिन अनावेदकगण की अब नियत खराब हो गयी है तथा उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करवाकर अन्य को ऊंचे दामों में बेचान करना चाहते है तथा आवेदक को उसके द्वारा उक्त खरीदशुदा भूमि से बेदखल करना चाहते है। वर्णित भूमि खाता संख्या 210 के खसरा नंबर 2417/454 रकबा 0.22है. ख0न0 463 रकबा 0.98है. किता 2 कुल रकबा 1.20है. जो ग्राम मणकसास तसहील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना का विरास्तन इंतकाल गलत दर्ज नहीं किया जावे चूकि वादग्रस्त भूमि मृतक खातेदार बाबूलाल की एकमात्र वारिस अनावेदिका नं0 1 ग्यारसी देवी है। इसके अलावा अनावेदकगण नं0 2 व 3 मृतक खातेदार बाबूलाल के वारिसान नहीं है। इसलिए अनावेदकगण नं0 2 व 3 का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इसके नाम से विरास्तन इंतकाल दर्ज नहीं किया जावें तथा पाबंद किया जावे कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि को आवेदक के अलावा दिगर किसी को बेचान नहीं करें तथा न ही इसे रहन करे तथा आवेदक को उसमें काश्त करने व उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके तथा आवेदक के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं डाले तथा आवेदक को बेदखल नहीं करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण 1 लगायत 3 की ओर से श्री हरलाल सैनी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अनावेदकगण 4 बाद तामील पेश नही होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयीं। अनावेदकगण 1 लगायत 3 की ओर से उपस्थित वकील श्री हरलाल सैनी अनावेदकगण 2 व 3 की ओर जाबव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त जाबव प्रार्थना पत्र ही अनावेदकगण 1 का जाबव प्रार्थना पत्र माना जावे। वकील अनावेदकगण द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि उत्तरदातागण की माता व स्वर्गीय बाबुलाल का विवाह होने के बाद दोनो से उत्तरदाता सुनिल का जन्म दिनांक 17.07.1992 को व उत्तरदात्री सीमा का जन्म दिनांक 16.04.1995 को हुआ था, उत्तरदातागण के पिता स्वर्गीय बाबूलाल की मृत्यु दिनांक 01.02.1995 को हुई थी, उत्तरदातागण की माता ग्यारसी ने बाबूलाल की मृत्यु के बाद अशोक से पुनर्विवाह कर लिया था, इस तरह से पुनर्विवाह के बाद ग्यारसी देवी स्वर्गीय बाबुलाल की उत्तराधिकारी नहीं है, इस तरह से यह साबित है कि स्वर्गीय बाबूलाल के वारिस उत्तरदातागण है तथा उनकी चल अचल सम्पदा को प्राप्त करने के अधिकारी है, उससे विपरित जो वाद व प्रार्थना पत्र प्रकरण के प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है वह चलने योग्य नहीं है निरस्त होने योग्य है। स्वर्गीय बाबूलाल की मृत्यु के बाद उत्तरदातागण की माता के पास सुनिल व सीमा की परवरिश का कोई साधन नहीं होने के कारण दिनांक 10.07.1995 को उसने अशोक कुमार से पुनर्विवाह किया था, उत्तरदातागण इस पुनर्विवाह से पूर्व जन्म ले चुके थे जिससे भी साबित है कि उत्तरदातागण स्वर्गीय बाबुलाल के जाइन्दा पुत्र व पुत्री है विधालय रजिस्टर में अशोक ने उत्तरदातागण को भर्ती करवाते समय पिता के रूप में अपना नाम अंकित करवा दिया, जिस बाबत ग्राम के मौजिज व्यक्तियों व सरपंच की उपस्थिति में लिखावट भी लिखी गई थी, जिससे भी साबित है कि प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वेग व पोषणीय नही है। उत्तरदाता की माता ग्यारसीदेवी स्वर्गीय बाबुलाल की धर्मपत्नी थी जिसने दिनांक 10.07.1995 को पुनर्विवाह कर लिया था इसलिय पुनर्विवाह के आधार पर वह बाबुलाल की चल अचल सम्पदा में अपने सम्पूर्ण अधिकार खो चुकी थी तथा बाबुलाल के प्राकृतिक वारिस उत्तरदातागण है ऐसी स्थिति में जिस इकरारनामे का कथन प्रार्थना पत्र में अंकित है वह फर्जी है, ग्यारसी देवी ने ऐसा कोई इकरार किया था तो उसे करने का अधिकार नहीं था। प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र कब्जे के आधार पर है जबकि मौके पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नही रहा है ना ही आज है भूमि मे दो खुड़िडया है जो उत्तरदातागण की है स्वर्गीय बाबूलाल पिता उत्तरदातागणने कभी भी उक्त भूमि को रामकुमार को नही बतलाई थी, रामकुमार को उत्तरदातागण जानते तक नहीं है तथा इस तरह

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

CamScanner

का कोई इकरारनामा हुआ है तो वह फर्जी है बिना अधिकार है, जिसमें उत्तरदातागण पाबंद नहीं है। भूमि कुर्क होकर राज कब्जे है इसलिये प्रकरण में प्रार्थी का कब्जा होने का प्रश्न ही नही उठता है, विक्रय पत्र के इकरार के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। उत्तरदतागण द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार राजस्व वाद पेश करने का वाद कारण कब उत्पन्न हुआ है यह प्रार्थना पत्र में कही पर भी अंकित नही किया गया है इस तरह से कॉज ऑफ एक्सन डिस्क्लॉज नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। वादीगण/आवेदकगण का वाद झूँठा व निराधार है। आवेदक के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य राजस्व रिकॉर्ड बाबूलाल पिता उत्तरदातागण के नाम से दर्ज होना स्वीकार है शेष सम्पूर्ण कथन असत्य व झूठ होने से अस्वीकार है अनावेदिका संख्या 1 ग्यारसी देवी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जन्म के बाद अशोक से पुनर्विवाह करना भी स्वीकार है तथा उसके साथ रहना भी स्वीकार है शेष कथन जिस तरह से अंकित है गलत व झूठ होने से अस्वीकार है। प्रकरण का प्रार्थी ना ही तो भूमि का खातेदार है ना ही उसने सोर्स ऑफ टीनेन्सी बतलाई है प्रार्थना पत्र की प्लीडिंग के अनुसार उसका प्रकरण सिविल क्षेत्राधिकार का था। प्रकरण में पूर्व में प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई व्यादेश माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिसकी अपील भी माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा खारीज की जा चुकी है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत जबाब अनुसार ही कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी ग्राम मनकसास संवत् 2075–2078 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2417/454 रकबा 0.2200है एवं भूमि खसरा नम्बर 463 रकबा 0.9800है. किता 2 कुल रकबा 1.2000है. की खातेदारी बाबूलाल पुत्र भूरा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जबाबदी के नामान्तकरण संख्या 1445 दिनांक 12.4.2022 के अनुसार बाबूलाल पुत्र भूरा की विरासत ग्यारसी देवी पत्नी बाबूलाल, सुनिल कुमार पुत्र बाबुलाल, सीमा पुत्री बाबूलाल का नामान्तकरण प्रकियाधीन है।

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र निर्णित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दूओं को देखा जाना है। चूंकि विवादित आराजी के अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य/सबूत उपरांत ही होना है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गणकसास पटवार हल्का मनकसास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 463, 2417/454 किता 02 कुल रकबा 1.20है की खतोदारी बाबुलाल पुत्र भूरा के नाम से दर्ज रिकार्ड है बाबुलाल पुत्र भूरा की फौत हो चुकी है। बाबूलाल के फौत होने के बाद बाबूलाल की पत्नी ग्यारसी देवी ने पुनर्विवाह कर लिया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक उक्त वर्णित आराजी का रिकॉडेर्ड खातेदार काश्तकार नहीं है तथा उक्त आराजी पूर्व से कुर्कशुदा होने से कब्जा भी आवेदक का नही है। आवेदक जिस इकरारनामा के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है वह पंजीबद्ध दस्तावेज नही है। बाबूलाल भूरा के फौत होने के बाद उसके विविध वारिसान के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जाना तथा नामान्तकरण दर्ज होने के पश्चात ही विधिक वारिसान को खातेदारी के अधिकार प्राप्त होते है। खातेदारी से पूर्व किया गया कोई भी इकरार कानूनन वैध नही है। बाबूलाल पुत्र भूरा की विरासत एवं उत्तराधिकारियों का निर्णय वाद के विविधत सुनवाई के पश्चात होना है। आवेदक उक्त वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है तथा उक्त वर्णित भूमि कुर्क होने के कारण प्रथम दृष्टया आवेदक के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। न्यायालय के इस निर्णय से उक्त आराजी के संबधी में पारित अन्य न्यायालयों के निर्णय प्रभावित नहीं होंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो तथा मूल दावे के सलग्न हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

CamScanner